

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन एवं घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 06/05/2026

वादी की ओर से श्री अनिल सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 6 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से श्री बस्ती राम व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक 06/5/26 को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीवंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश हाने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा किया जाता है:-

(क). प्रतिवादी स. 1 रजीराम को प्राप्त कृषि भूमि:-तहसील पीलीवंगा के चक 1 टीकेडब्ल्यू-ए के प.न. 12/222 (3) के किला न. 16/1/0.2280, 16/2/0.0250(रास्ता), 17/0.253, 18/1/0.1730, 18/2/0.0380(खाला), 18/3/0.0420, 19 ता 23/1.2650, 24/1/0.1075, 24/2/0.0380 (खाला), 24/3/0.1075, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 (रास्ता) कुल 2.4040 हैक. नहरी, 0.0500 हैक. गैरमुमकिन रास्ता, 0.0760 हैक. गैरमुमकिन खाला तथा प. न. 13/222 (2) के किला न.20/0.253 इस प्रकार 2.4040+ 0.2530 = 2.6570 हैक. नहरी व प.न. 13/222 (2) के किला न. 19/0. 101, 22/0.228, प.न.13/223 (9) के किला

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

$n.3/0.126, 8/0.00945= 0.46445$ हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जाती है।

(ख). वादी हरीराम को प्राप्त कृषि भूमि:—तहसील पीलीबंगा के चक 1 टीकेडब्ल्यु-ए के प.न. 12/223 (8) के किला न. 4/0.2530, 5/1/0.1590, 5/2/0.0250 (खाला), 5/3/0.0250 (रास्ता), 5/4/0.0440, 6/1/0.0010, 6/2/0.0250 (खाला), 6/3/0.0250 (रास्ता), 6/4/0.2020, 7/0.2530, 14/0.2530, 15/1/0.2280, 15/2/0.0250 (रास्ता), 16/1/0.2280, 16/2/0.0250 (रास्ता), 17/0.2530, 24/0.2530, 25/1/0.2280, 25/2/0.0250 (रास्ता) कुल 2.3550 हैक. नहरी, 0.0500 गैरमुमकिन खाला, 0.1250 हैक. गैरमुमकिन रास्ता व प. न. 13/223 (9) के किला न. 18/0.2530, 19/1/0.02840 कुल 0.2814 हैक. नहरी इस प्रकार दोनो पत्थरों की 2.6364 हैक. नहरी व प. न. 13/223 (9) के किला न. 13/0.0568, 14/0.1520, 17/0.21918 कुल 0.42718 हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी हरीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जाती है।

(ग). प्रतिवादी स. 3 साहबराम को प्राप्त कृषि भूमि :—तहसील पीलीबंगा के चक 1 टीकेडब्ल्यु-ए के प.न.13/222 (2) के किला न. 21/0.2530 व प.न. 13/223 (9) के किला न.1/0.2530, 2/0.2530, 9/0.2530, 10/1/0.2280, 10/2/0.0130 (खाला), 10/3/0.0120, 11/1/0.1730, 11/2/0.0250 (खाला), 11/3/0.0550, 12/0.2530, 19/1/0.0776, 19/2/0.0380(खाला), 19/3/0.109, 20/0.253, 21/0.2530, 22/1/0.2042 कुल 2.3768 हैक. नहरी व 0.0760 हैक. खाला इस प्रकार कुल $0.2530+2.3768 = 2.6298$ हैक. नहरी व प. न. 13/223 (9) के किला न. 7/0.0130, 8/0.23055, 13/0.1962 कुल 0.43983 हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि अलग खाता में प्रतिवादी स. 3 साहबराम को दी जाकर रकमराज अलग कायम की जाती है।

(घ). प्रतिवादी स. 6 देवीलाल को प्राप्त कृषि भूमि :—तहसील पीलीबंगा के चक 1 टीकेडब्ल्यु-ए के प.न.13/223 (9) के किला न. 22/1/0.0358, 22/2/0.0130 (खाला), 23/1/0.1720, 23/2/0.0250 (खाला), 23/3/0.0560 कुल 0.2638 हैक. नहरी व 0.0380 हैक. खाला व प.न. 14/224 (13) के किला 11/0.2530, 12/1/0.1140, 18/1/0.0250, 19/0.2530, 20/1/0.1930, 20/2/0.0250(खाला), 20/3/0.0350, 21/1/0.1930, 21/2/0.025(खाला), 21/3/0.0350, 22/1/0.2400, 22/2/0.0130 (खाला), 23/0.1640 कुल 1.5050 हैक. नहरी व 0.0630 हैक. खाला, प.न. 14/225 (30) के किला न.1/0.2530, 2/0.1340, 2/2/0.0250 (खाला), 2/3/0.0940, 3/0.2530, 4/1/0.1010, 10/0.0326 कुल 0.8676 हैक. नहरी, 0.0250 हैक. खाला इस प्रकार $0.2638+1.5050+ 0.8676=2.6364$ हैक. नहरी व 0.1260 हैक. खाला व प.न.13/223 (9) के किला न.24/0.08764, प.न.14/224 (13) के किला न. 1/1/0.0760, 10/0.2400 इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 0.40364 हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि अलग खाता में प्रतिवादी स. 6 देवीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रकमराज अलग कायम की जाती है।

(ड). प्रतिवादी स. 2 रायसिंह को प्राप्त कृषि भूमि:—तहसील पीलीबंगा के चक 1 टीकेडब्ल्यु-ए के प.न.14/225 (30) के किला न.7/0.2020, 8/1/0.1650, 8/2/0.0250(खाला), 8/3/0.0630, 9/0.2530, 10/0.2204, 11/0.2530, 12/0.2530, 13/1/0.2300, 13/2/0.0130(खाला), 13/3/0.0100, 14/1/0.1920, 14/2/0.0250(खाला), 14/3/0.0360, 15/0.1010, 16/1/0.2090, 16/2/0.0130 (खाला), 16/3/0.0060, 17/1/0.1890, 17/2/0.0250 (खाला), 17/3/0.0390, 18/0.2530 कुल 2.6744 हैक. नहरी, 0.1010 हैक. खाला, प.न.15/225 (31) के किला न.20/1/0.0130 इस प्रकार कुल $2.6744 +0.0130= 2.6874$ हैक. नहरी व 0.1010 हैक. खाला व प. न. 13/223 (9) के किला न.16/0.0510,

17/0.03382, 24/0.16536 25/0.2020 कुल 0.45218 हैक. अंकमाण्ड कृषि भूमि अलग खाता में प्रतिवादी रा.2 रायसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रकमराज अलग कायम की जाती है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंगे तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंगे, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंगे तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंगे की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा प्रित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा